

ऑन लाईन पोर्टल पर आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज—

पेंशन योजना —

वद्वावस्था पेंशन, किसान पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, तीलू रौतली पेंशन बौना पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, दिव्यांग भरण पोषण अनुदान हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज ऑन लाईन आवेदन करते समय पोर्टल में अपलोड किया जाना आवश्यक हैं—

1. बी0पी0एल प्रमाण पत्र अथवा आय प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार द्वारा निर्गत। (मासिक आय रू 4000 से अधिक न हो)
2. ग्राम सभा की खुली बैठक का प्रस्ताव।
3. परिवार रजिस्टर की प्रति।
4. आधार कार्ड।
5. सी0बी0एस बैंक खाता की प्रति।
6. आवेदक की नवीनतम फोटो।
7. मृतक प्रमाण पत्र (विधवा पेंशन हेतु अनिवार्य)
8. दिव्यांग प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत (दिव्यांग पेंशन, तीलू रौतेली पेंशन, बौना पेंशन,, दिव्यांग भरण पोषण अनुदान आदि हेतु)
9. यू0डी0आई0डी कार्ड (दिव्यांग पेंशन, तीलू रौतेली पेंशन, बौना पेंशन, दिव्यांग भरण पोषण अनुदान आदि हेतु)
10. खाता खतौनी की नकल (किसान पेंशन हेतु)
11. भूमि का प्रमाण पत्र (किसान पेंशन हेतु)
12. शप्रथ पत्र किसान पेंशन हेतु)
13. लापता पति/ पति द्वारा परित्याग महिला द्वारा स्व-घोषणा पत्र, जिसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य द्वार प्रमाणित किया गया हो। (परित्यक्ता पेंशन हेतु)

अनुदान योजना—

अनुसूचित जाति/जन जाति की पुत्रियों की शादी एवं विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना, दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना) इन योजनाओं हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज ऑन लाईन आवेदन करते समय पोर्टल में अपलोड किया जाना आवश्यक हैं—

1. अन्त्योदय कार्ड / बीपीएल प्रमाण पत्र / आय प्रमाण पत्र (मासिक आय रू 4000 से अधिक न हो।)
2. शादी का पंजीकरण तथा पंजीकरण कार्यालय द्वारा प्रदत्त विवाह प्रमाण पत्र की प्रति।
3. आवेदक एवं आवेदक के परिवार वालो ने इससे पूर्व एक से अधिक पुत्री की शादी के लिए इस योजना का लाभ नहीं लिया है, का शपथ पत्र।
4. आवेदक का जाति प्रमाण पत्र की प्रति।
5. विधवा पेंशन प्राप्त करने का प्रमाण पत्र।
6. दुल्हे /दुल्हन की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र।
7. रार्शन कार्ड की स्व प्रमाणित।
8. आवेदक का फोटो।
9. आवेदकों का आधार कार्ड।
10. सीबीएस बैंक खाता।
11. दिव्यांग प्रमाण पत्र (दिव्यांग शादी हेतु)
12. आय प्रमाण पत्र। (मासिक आय रू 4000 से अधिक न हो।)
13. जाति प्रमाण पत्र। (दिव्यांग शादी हेतु)
14. सयुक्त बैंक खाता। (दिव्यांग शादी हेतु)
15. स्थाई निवास प्रमाण पत्र।